

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ. 4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 326

दिनांक : 02.02.2024

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
(नगरपालिका) श्रीगंगानगर।

विषय:- नगरपरिषद श्रीगंगानगर के सभापति पद पर हेतु उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा।
प्रसंग:- आयोग का पत्रांक 274 दिनांक 29.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपरिषद श्रीगंगानगर के सभापति पद पर प्रक्रियाधीन उपचुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। उक्त संबंध में आयोग द्वारा आपके जिले की नगरपरिषद श्रीगंगानगर में रिक्त हुए सभापति पद पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

उपचुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	05.02.2024 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	06.02.2024 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	07.02.2024 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	08.02.2024 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	08.02.2024 (गुरुवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	11.02.2024 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	11.02.2024 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 9 के अनुसार उपचुनाव हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी तुरन्त उपलब्ध करावें क्योंकि नगरीय निकायों के अध्यक्षीय पदों के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव लड़ने हेतु उनके द्वारा नामित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना निर्धारित प्ररूप में रिटर्निंग अधिकारी को सीधे ही नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3 बजे अपराह्न तक भेजना आवश्यक होता है। चुनाव चिन्ह आवंटन के सन्दर्भ में आयोग द्वारा अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचनाएं क्रमांक 2979 दिनांक 20.08.2019 एवं इस अधिसूचना में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 3880 दिनांक 07.10.2019 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1895 दिनांक 24.05.2019, उक्त अधिसूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवायें।

आज्ञा से,

(नारायण सिंह)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 02.02.2024

क्रमांक : एफ. 4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 327-35
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव